कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

संचिका संख्या:– मो०–59/20 (सांख्यिकी) 4962 15 दिसम्बर, 2020

प्रेषक,

महत्वपूर्ण

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, प० चम्पारण, सिवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी एवं गोपालगंज।

विषय : **खरीफ 2020 में असामयिक अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण प्रतिवेदित जिलों प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि खरीफ 2020 में असामयिक अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण प्रतिवेदित 17 जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहाय्य/प्रभारी पदाधिकारी, साहाय्य को नामित करते हुए उनका E-mail तथा Mobile No उपलब्ध कराये ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4962 दिनांक : 15-12-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4962 दिनांक : 15-12-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

ज्ञापांक : 4962 दिनांक : 15-12-2020

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 4962 दिनांक : 15-12-2020

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र/प्रवंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) दियारा एवं चौर विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(खरीफ 2020)

खरीफ 2020 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण प्रतिवेदित 17 जिलों यथा मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, प० चम्पारण, सिवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी एवं गोपालगंज के 206 प्रखंडों के 3251 पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में खरीफ 2020 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण प्रभावित फसलों के लिए प्रभावित किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

c) औद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए 18000 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया अनुदान देय हैं। औद्यानिक/पेरेनियल फसल के लिए न्यूनतम 2000 रूपया अनुदान देय है।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायतों के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान हैं, वे सीधे "अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना" https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.3 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

2.4 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।**

ऑनलाईन आवेदन की सुविधा :

- किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **कृषि इनपुट अनुदान** हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र है–
  - किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते है– निःशुल्क।
  - प्रखंड स्थित ई– किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  - कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
  - अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते है।

3. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

3.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **''अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना''** मेनू पर क्लिक करेंगे।

3.2 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए प्रत्येक दिन सुबह 9.00 बजे से संध्या 6.00 तक कृषि इनपुट अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**

3.3 **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अन्तर्गत अनुदान के आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **''डिस्प्ले''** किया जाएगा।

3.4 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र/ई–किसान भवन से ऑनलाईन **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.5 **अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना** हेतु आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अधिकत्तम 2 हेक्टेयर के लिए मान्य होगा।

3.6 **किसान को तीन श्रेणियों** (स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। **एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का मालिक हो या खेतिहर।** इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा दिया जायेगा, कि उनके द्वारा जाँच कर लिया गया है।

3.6.1 **"स्वयं भूधारी"** की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे।

3.6.2 **"वास्तविक खेतिहर"** किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, असमय वर्षा/बाढ़ से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर सहित सत्यापित दस्तावेज अपलोड करेंगे।

3.6.3 **''स्वयं भूधारी''** + वास्तविक खेतिहर'' किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और वास्तविक खेतिहर के लिए खेसरा नंबर, अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और साथ–ही–साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

3.6.4 वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें "वास्तविक खेतिहर" के रूप में प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की व्यवस्था होगी। यह कार्य जाँच के क्रम में कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी।

3.6.5 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

3.7 किसान द्वारा दिये गए कुल प्रभावित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

3.8 अनिवार्य जानकारी की प्रविष्टि करने के पश्चात किसान, आवेदन प्रपत्र में दिए गए CAPTCHA डालेंगे एवं GETOTP पर क्लिक करेंगे। किसान के द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल संख्या पर 4/6 अंकों का OTP भेजा जायेगा। बिना OTP के आवेदन अमान्य होगा एवं किसान द्वारा सही OTP डालने पर किसान के प्रकार के अनुसार जमीन का दस्तावेज (रसीद/जमाबंदी /LPC/ स्वयं अभिप्रमाणित घोषणा पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसान द्वारा जमीन दस्तावेज सफलतापूर्वक संलग्न करने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही किसान को SMS के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल संख्या पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो तो 48 घंटे की समय सीमा के अन्दर आवश्यक बदलाव करने के लिए भी सूचित किया जायेगा अन्यथा 48 घंटे के बाद आवेदन स्वतः कृषि समन्वयक स्तर पर सत्यापन के लिए अग्रसारित हो जायेगा जिसके बाद आवेदन में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। 48 घंटे से पहले आवेदन में हुए त्रुटि के संशोधन के लिए लिंक पोर्टल पर "विवरण संशोधन" मेनू के अन्दर दिया गया है।

3.9 DBT Agriculture पोर्टल को किसी भी तरह से Bypass करने का प्रयत्न या कोई भी छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। इसपर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3.10 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल तथा 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल) ।**

3.11 किसान **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.12 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.13 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

4. आवेदन की स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

4.1 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक 20 दिनों के अंदर आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। कृषि समन्वयक प्रभावित प्लॉट(सर्वे नम्बर) में किसान को खड़ा कर फोटो लेंगे तथा जाँचोपरान्त उसे अपलोड करेंगे।

Login Id एवं Passowrd से सम्बन्धित निदेश :–

- एक कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एक से अधिक स्थान से लॉगिन नहीं कर सकता है।
- लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड की सुरक्षा कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को सुनिश्चित करना है।

- कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।
- किसान सलाहकार को लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड नहीं दिया जाएगा।
- जिला कृषि पदाधिकारी कृषि इनपुट अनुदान कार्य का सत्यापन ए० टी० एम०/बी० टी० एम०/बी० एच० ओ० से करा सकते हैं।

कृषि समन्वयक के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थल जाँच कर स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन के निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(i) आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है।
(ii) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकवा सही है।

कृषि समन्वयक के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थल जाँच कर स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन के निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(iii) आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है।
(iv) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकवा सही है।
(v) **आवेदक द्वारा वास्तव में फसल लगाई गयी थी और अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से 33% से ज्यादा क्षति हुई है। साथ हीं यह संतुष्ट हो लें कि क्षतिग्रस्त फसल पुनर्जीवित नहीं हो सकती और यह क्षति अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से ही हुई है।**
(vi) वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित खेत के चौहद्दीदारों से पूछ–ताछ करें।
(vii) किसान वास्तविक खेतिहर होने संबंधी सत्यापन विहित प्रपत्र में कृषि समन्वयक/सलाहकार एवं वार्ड सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से निर्गत करने की व्यवस्था कृषि समन्वयक सुनिश्चित करेंगे।

4.1.1 भूमि से संबंधित कागजात (रैयत के मामले में)।

4.1.2 यह संतुष्ट हो लें कि भूमि के मालिक या वास्तविक खेतिहर दोनों में से किसी एक ने हीं आवेदन किया है।

4.1.3 पति–पत्नी एवं उनके पुत्र/पुत्री जो एक साथ रहते हों, को एक परिवार मानकर उनके द्वारा अलग–अलग आवेदन देने की स्थिति में सब को मिलाकर दो हेक्टेयर से कम आवेदन करते हैं तो उन्हें अलग–अलग लाभ दिया जा सकता है। वशर्ते लाभ का रकबा दो हेक्टेयर से अधिक न हो।

4.2 कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

4.3 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 20 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 7 कार्यदिवस के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी, द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को करेंगे। अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य अपने स्तर से आवश्यक जाँचोपरान्त स्वीकृत आवेदन को भुगतान हेतु राज्य स्तर पर भेजेंगे।

4.5 अगर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

4.6 अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

4.7 अगर अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर आवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित हो जायेगा।

4.8 चिन्हित प्रखंडों के चिन्हित पंचायत में कैम्प लगाकर प्राप्त आवेदनों एवं अन्य सम्बन्धित कागजातों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त किसानों के खाते में राशि का अंतरण किये जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

4.9 किसानों द्वारा आवेदन देने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान हेतु आवेदन सीधे अग्रसारित होने की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4.10 ऐसे सभी असत्यापित आवेदन पत्रों की जाँच भुगतान के उपरान्त निश्चित रूप से 15 दिनों के अंदर करा ली जायेगी तथा जाँच के क्रम में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कृषि समन्वयक/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य के विरूद्ध कठोर कार्रवाई एवं उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

4.11 त्रुटिपूर्ण भुगतान, दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

4.12 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।

4.13 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय–समय पर किसानों को ऑन–लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

4.14 स्थल जाँच के क्रम में किसानों को प्रेरित करने की कार्रवाई करें कि फसल कटनी के बाद पुआल को खेत में न जलायें। इससे होने वाले नुकसान की जानकारी किसानों को देकर जागरूक करायें। किसी भी किसान के द्वारा अपने खेत में पुआल जलाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे किसान कृषि इनपुट अनुदान के तहत लाभ देने वंचित रखें यानि ऐसे किसान के आवेदन को स्पष्ट कारण बताते हुये अस्वीकृत करने की कार्रवाई करें।

5. अनुश्रवण :

5.1 योजना के अनुश्रवण की जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी की होगी जो साप्ताहिक लम्बित आवेदनों की जाँच एवं योजना की समीक्षा करेंगे।

5.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित की गई अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति प्रभावित क्षेत्रों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी एवं लाभार्थियों की सूची पारित करेगी।

5.3 जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक यथासम्भव प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाएगी।

5.3.1 संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 7% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.3 संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.4 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.5 संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.6 संबंधित जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.7 संबंधित संयुक्त निदेशक(शष्य) प्रमंडल द्वारा प्रत्येक जिले का 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.3.8 निदेशक, कृषि द्वारा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर जाँच दल गठन कर अनुश्रवण किया जाएगा।

5.3.9 योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग नोडल पदाधिकारी होंगे।

किसान भाईयों/बहनों से अनुरोध है कि सरकार की इस महत्त्वकाँक्षी योजना का लाभ उठायें